

जन्म के समय लगानुपात

प्रलम्बिस के लयि:

राष्ट्रीय परवार स्वास्थय सर्वेक्षण, लगि नरिधारण, सरकारी पहल ।

मेन्स के लयि:

असंतुलति लगानुपात का मुद्दा, राष्ट्रीय परवार स्वास्थय सर्वेक्षण, संतुलति लगानुपात सुनशिचति करने में चुनौतयिँ, सरकारी पहल ।

चर्चा में क्योँ?

हाल ही के एक अधययन में बताया गया है कि भारत में "पुत्र पूरवाग्रह" में गरिावट आ रही है क्योँकि जन्म के समय **लगि अनुपात** वर्ष 2011 में प्रति 100 लड़कयिँ पर 111 लड़कोँ से कम होकर वर्ष 2019-21 में प्रति 100 लड़कयिँ पर लड़कोँ का अनुपात 108 हो गया ।

रपौरट के प्रमुख नषिकर्ष:

■ राष्ट्रीय परदृश्य:

- भारत में "लापता" बच्चयिँ की औसत वार्षकि संख्या वर्ष 2010 के लगभग 4.8 लाख से कम होकर वर्ष 2019 में 4.1 लाख हो गई ।
 - यहाँ "लापता" का अर्थ है कि इस समय के दौरान कतिने और महिला जन्म हुए होते यदि महिला-चयनात्मक गर्भपात नहीं होते ।
- भारत की वर्ष 2011 की जनगणना में प्रति 100 लड़कयिँ पर 111 लड़कोँ से राष्ट्रीय परवार स्वास्थय सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की वर्ष 2015-16 की रपौरट में जन्म के समय लगानुपात थोड़ा कम होकर लगभग 109 और NFHS-5 (वर्ष 2019-21) में यह संख्या लड़कोँ की संख्या 108 हो गई है ।
- वर्ष 2000-2019 के बीच महिला-चयनात्मक गर्भपात के कारण नौ करोड़ महिला जन्म "लापता" हो गए ।

■ धर्म के अनुसार लगानुपात:

- रपौरट में धर्म के आधार पर लगि चयन का भी वशिलेषण कयिा गया है, जसिमें कहा गया है कि सखिँ के लयि यह अंतर सबसे अधिक था ।
 - वर्ष 2001 की जनगणना में सखिँ का लगानुपात प्रति 100 महिलाओं पर 130 पुरुषों का था, जो उस वर्ष के राष्ट्रीय औसत 110 से कहीं अधिक था ।
 - वर्ष 2011 की जनगणना तक, सखिँ का लगानुपात अनुपात प्रति 100 लड़कयिँ पर 121 लड़कोँ तक सीमति हो गया था ।
 - नवीनतम NFHS के अनुसार, यह अब 110 के आसपास है, जो देश के हट्टि बहुसंख्यक में जन्म के समय पुरुषों और महिलाओं के अनुपात (109) के समान है ।
- **ईसाई** (105 लड़के पर 100 लड़कयिँ) और **मुसलमि** (106 लड़के पर 100 लड़कयिँ) में लगानुपात प्राकृतकि मानदंड के नकिट है ।

■ लापता लड़कयिँ में धर्मवार हसिसेदारी:

- भारतीय जनसंख्या में हसिसेदारी:
 - सखि: 2%
 - हट्टि: 80%
 - मुसलमान: 14%
 - ईसाई: 2.3%
- लगि-चयनात्मक गर्भपात के कारण लापता लड़कयिँ में हसिसेदारी:
 - सखि: 5%
 - हट्टि: 87%
 - मुसलमान: 7%
 - ईसाई: 0.6%

भारत में लगानुपात का इतहास

- विश्व स्तर पर लड़कों की संख्या जन्म के समय लड़कियों की संख्या से कम है अर्थात् प्रति 100 महिला शिशुओं के लिये लगभग 105 पुरुष शिशुओं के अनुपात में।
 - भारत में यह अनुपात वर्ष 1950 और 1960 के दशक में देश भर में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण उपलब्ध होने से पूर्व था।
- समस्या की शुरुआत वर्ष 1970 के दशक में प्रसवपूर्व नदिन तकनीक की उपलब्धता के साथ हुई, जो लिंग चयन गर्भपात की अनुमति देती है।
 - भारत ने वर्ष 1971 में गर्भपात को वैध कर दिया लेकिन [अल्ट्रासाउंड तकनीक](#) की शुरुआत के कारण वर्ष 1980 के दशक में लिंग चयन का चलन शुरू हो गया।
- 1970 के दशक में, भारत का लिंगानुपात 105-100 के वैश्विक औसत के बराबर था, लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में यह बढ़कर प्रति 100 लड़कियों पर 108 लड़कों तक पहुँच गया और 1990 के दशक में प्रति 100 लड़कियों पर 110 लड़कों तक पहुँच गया।

संतुलित जन्म लिंग अनुपात सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ:

- **प्रतगामी मानसिकता:**
 - सामान्यता केरल और छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों में पुत्रों को वरीयता दी जाती है।
 - लड़कों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति प्रतगामी मानसिकता से संबंधित है, क्योंकि लड़कियों के मामले में [दहेज प्रथा](#) का प्रचलन है।
- **तकनीक का दुरुपयोग:**
 - अल्ट्रासाउंड जैसी सस्ती तकनीक से लिंग चयन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।
- **कानून के कार्यान्वयन में वफादारी:**
 - [गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व नदिन-तकनीक अधिनियम \(PC-PNDT\), 1994](#) जो स्वास्थ्य पेशेवरों और माता-पिता को बच्चे के लिंग के बारे में प्रसवपूर्व जाँच करने पर कारावास तथा भारी जुर्माने का प्रावधान करता है, लिंग चयन को नियंत्रित करने में वफादारी रहा है।
 - रिपोर्ट में PC-PNDT को लागू करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण में बड़े स्तर पर खामियाँ पाई गईं।
 - उचित प्रशिक्षण के अभाव का तात्पर्य है कि वे दोषियों को कानून के अनुसार दंड दिलाने में असमर्थ/अक्षम हैं।
- **नरिक्षरता:**
 - 15-49 वर्ष के प्रजनन आयु-वर्ग की नरिक्षर महिलाएँ, साक्षर महिलाओं की तुलना में अधिक बच्चों को जन्म देती हैं।

आगे की राह:

- **व्यवहार में परिवर्तन लाना:**
 - महिला शिक्षा और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि से लिंग अनुपात में सुधार करने में सहायता मिलती है। इसी प्रयास में सरकार [कैटी बचाओ बेटे पढ़ाओ अभियान](#) ने समाज में व्यवहार परिवर्तन लाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
- **युवाओं को संवेदनशील बनाना:**
 - प्रजनन, स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं के साथ-साथ लैंगिक समानता के मानदंडों के विकास के लिये युवाओं तक पहुँचने की तत्काल आवश्यकता है।
 - इसके लिये, मान्यता प्राप्त [सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता \(आशा\)](#) की सेवाओं का लाभ खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उठाया जा सकता है।
- **कानून का सख्त प्रवर्तन:**
 - भारत को [गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व नदिन-तकनीक अधिनियम \(PC-PNDT\), 1994](#) को और अधिक सख्ती से लागू करना चाहिये और लड़कों की प्राथमिकता वाले मुद्दों से निपटने के लिये और अधिक संसाधन समर्पित करने चाहिये।
 - इस संदर्भ में [ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड](#) का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में अल्ट्रासाउंड मशीनों को शामिल करने का निर्णय सही दिशा में उठाया गया एक कदम है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. आप उन आँकड़ों की व्याख्या कैसे करते हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारत में जनजातियों में लिंगानुपात अनुसूचित जातियों की तुलना में महिलाओं के लिये अधिक अनुकूल है? (2015)

प्रश्न. भारत के कुछ सबसे समृद्ध क्षेत्रों में महिलाओं के लिये प्रतिकूल लिंगानुपात क्यों है? अपने तर्क दीजिये। (2014)

स्रोत: द हिंदू